

क्रमांक :- 456-467

प्रेषित :-

1. आदित्य फोटोकॉपियर्स, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
2. दाधीच फोटो कॉपियर्स, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
3. कुन्नाल कम्प्यूटर्स एण्ड फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
4. महक एण्टरप्राइजेज, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
5. नारायणदास फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
6. ओमेगा कम्प्यूटर एण्ड फोटोकॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
7. मै0 आर0आर0 विजयवर्गीय फोटो कॉपियर्स, टोंक
8. सुमित फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
9. गर्ग फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
10. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक
11. नोटिस बोर्ड जिला जन सम्पर्क कार्यालय टोंक
12. सिस्टम आफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक को जिला न्यायालय टोंक की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

विषय :- वर्ष 2026 के लिए टोंक मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के अभिलेखों/दस्तावेजों की फोटो स्टेट पद्धति द्वारा फोटो कॉपी एवं ब्लू प्रिंट व हाथ से बने नक्शों की रंगीन फोटो कॉपी हेतु फोटो कॉपियर्स नियुक्त करने हेतु निविदा।

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक के वर्ष 2026 के लिए टोंक मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के अभिलेखों/दस्तावेजों की फोटो स्टेट पद्धति द्वारा फोटो कॉपी एवं ब्लू प्रिंट व हाथ से बने नक्शों की रंगीन फोटो कॉपी हेतु फोटो कॉपियर्स नियुक्त करने हेतु श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय टोंक के आदेश क्रमांक स्थापना/2025/13332 दिनांक 06.11.2025 की पालना में निम्नांकित शर्तों पर निविदायें बन्द लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। निविदा में आटोमेटिक फोटो कॉपी मशीन द्वारा छोटी एवं बड़ी नकलों की दरें एवं कलर फोटो कॉपी मशीन द्वारा ब्लू प्रिंट व हाथ से बने नक्शों की फोटो कॉपी की दरें अंकित की जावे। प्रथम एवं द्वितीय के फोटो कॉपी के न्यूनतम चार्ज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जावेगा। न्यायालयों की सभी फोटो कॉपियां लीगल साईज के 70 GSM कागज पर की जावेंगी। दस्तावेज एक साईड से प्रिन्ट हो तो उसकी कॉपी भी उसके अनुरूप एक साईड से ही करेगा अर्थात् उसके पिछे कॉपी नहीं करेगा, जो दस्तावेज आगे पिछे हो उसी की कॉपी आगे पिछे करेगा। निविदादाता को 2500/- रुपये की बैंक गारंटी भी निविदा के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदायें इस कार्यालय में दिनांक 21.11.2025 को दिन के 02.00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जानी चाहिये। इसके बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निम्न निविदा की शर्तों का पालन करने के लिये निविदा के साथ वचन पत्र संलग्न करना होगा। निविदायें दिनांक 21.11.2025 को सायं 04.00 बजे खोली जावेंगी। निविदा की निम्न शर्तें होगी:-

1. अभिलेखों की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने के लिये वचन पत्र देना होगा।
2. फोटोकॉपी साफ एवं सुपाठ्य होंगी।
3. न्यायालय परिसर से प्रतिष्ठान की दूरी 200 गज से अधिक नहीं होगी।
4. कार्यालय के प्रतिनिधि जिसको कार्यालय अधिकृत करेगा उसके माध्यम से ही फोटोकॉपी बनाई जावेगी।

5. प्रभारी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गयी प्रतिलिपियों को पुनः तैयार करनी होगी।
6. यह अनुबंध वर्ष 2026 की के लिए ही मान्य होगा एवं कार्य असन्तोषप्रद होने पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. प्रतिलिपी का नमूना टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा।
8. लाईट नहीं आने की स्थिति में जनरेटर द्वारा लाईट संचालित कर फोटोस्टेट कॉपी तैयार करनी होगी।
9. फोटोकॉपी मशीन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी शाखा की अनुमति से की जावेगी।
10. निविदादाता को 2500/- रुपये की बैंक गारंटी भी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी जो कि निविदाकर्ता को अनुबंध की पूर्ण पालना होने पर समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध वर्ष में किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी प्रभारी अधिकारी नकल शाखा के आदेश के अध्याधीन जप्त कर ली जावेगी।
11. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र सं. 05/P.I./2023 दिनांक 28.03.2023 की पालना में जो प्रतियां निशुल्क जारी होगी उन प्रतियों के बिल तीन प्रतियों में अलग से देना होगा। जिसका भुगतान अधिकृत निविदाकर्ता के बैंक खाते में नियमानुसार किया जावेगा।
12. फोटो कॉपियर्स फोटो प्रति तैयार करने के बाद दस्तावेजात संबंधित कर्मचारी को सुरक्षित सभलायेगा।

(लिंक अधिकारी)
प्रभारी अधिकारी (प्रतिलिपी शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
टोंक (राज.)